प्रति,

श्रीमान प्रधान अपीलीय अधिकारी
श्री बी. आर. लोनी
भार प्रेषण केन्द्र, द्वितीय तल
सी एस पी टी सी एल, रायपुर

STATE LOAD DESPATCH CENTRE
R.No. 4774
Date 2.2.16

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील बाबत्।

महोदय,

विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदक द्वारा दिनांक 08/01/16 को जनसूचना अधिकारी, कार्या. मुख्य अभियंता (भार प्रेषण), छ.रा.वि. पारे. कं. मर्या. रायपुर से, वर्ष 2008 से वर्तमान तक का मासिक वार पावर इंजेक्शन ग्राफ की जानकारी चाही गई थी जिसके संबंध में जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र क्रमांक 03-02/भार प्रेषण/2005 रायपुर, दिनांक 18/01/2016 के माध्यम से मासिक पावर इंजेक्शन ग्राफ के स्थान पर मासिक वार औसत डाटा प्रदान किया गया है। जो कि चाही गई जानकारी से भिन्न जानकारी है।

अतः प्रथम अपील के माध्यम से आपसे निवेदन है कि आवेदक को चाही गई जानकारी, जे एस पी एल के द्वारा सी एस पी डी सी एल को सप्लाई किए गए बिजली का मासिक वार पावर इंजेक्शन ग्राफ (जिसमें डेली बेसिस का फ्लक्चुएशन हो) प्रदान करने का कष्ट करें। वांछित जानकारी की तत्काल आवश्यकता है अतः शीघ्र सुनवाई कर जानकारी देवें।

संलग्न :-
1) आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 8/1/16
2) जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदाय की जानकारी दिनांक 18/01/16

अपीलार्थी
(हस्ताक्षर)
भूपेन्द्र सिंह
पता:- परमार बाड़ी, पीताम्बरा मंदिर के पास, कमलेश्वर
जिला- दुर्ग (छ.ग.)
मो. - 9575750008

(सूचना) MR.NO. 004/2016
dt. 02-02-16
Rs. 50 EOC

(हस्ताक्षर) 2/2/16

SPEED POST

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर
दूरभाष: 0771-2574172, फैक्स: 0771-2574174
Web Site: sldccg.gov.in   email-csebsldc@gmail.com

क्रमांक : 03–02/भा.प्रे/ज.सू.अ./ 2159   रायपुर, दिनांक 05 FEB 2016

प्रति,

श्री भूपेन्द्र सिंह,
पता :– परमार बाड़ी,
पीतांबरा मंदिर के पास,
अमलेश्वर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् प्रथम अपील ।

संदर्भः– आपका आवेदन प्राप्ति दिनांक 02.02.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित आवेदन, जिसमें आपने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील किये हैं, उसकी सुनवाई दिनांक 15.02.2016 दिन सोमवार को दोपहर 3.00 बजे निर्धारित की गई है । अतएव कृपया अपनी अपील की सुनवाई हेतु आप उपरोक्त निर्धारित तिथि व समयानुसार अपीलीय अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें ।

धन्यवाद,

(बी0आर0सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त
मुख्य अभियंता (भार प्रेषण)
छ.रा.वि.पारे.कंपनी लिमि.रायपुर

o/c

मूल प्रति में नहीं :–

प्रतिलिपि :–

श्री डी0के0 खिचरिया, जन सूचना अधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय–मुख्य अभियंता (भार प्रेषण केन्द्र), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर –कृपया उपरोक्त तिथि व समयानुसार निर्धारित सुनवाई में अपनी उपस्थिति देवें एवं अभिमत प्रस्तुत करें)

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005) एवं मुख्य अभियन्ता (भार प्रेषण) छ0रा0वि0पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर

कमांक 03–02/जसूअ/अपील/2218 रायपुर, दिनांक 15 FEB 2016

आवेदक : श्री भूपेन्द्र सिंह,
परमार बाड़ी,
पीताम्बरा मंदिर के पास,
अमलेश्वर, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

विरूद्ध

अनावेदकः श्री डी0के0 खिचरिया,
लोक सूचना अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियन्ता (एम0ओ0)
कार्यालय–मुख्य अभियंता (भार प्रेषण)
छ0रा0वि0पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी छ0रा0वि0पारेषण कंपनी मर्यादित रायपुर द्वारा प्रथम अपील पर पारित आदेश ।

:: आदेश ::

(दिनांक 15.02.2016)

1.0 अपीलार्थी श्री भूपेन्द्र सिंह, अमलेश्वर, जिला–दुर्ग की अपील इस कार्यालय में प्राप्त हुई है जिसे अपील कमांक–1 दिनांक 02.02.2016 पर दर्ज किया गया ।

2.0 इस कार्यालय के पत्र कमांक 03–02/भा.प्रे./ज.सू.अ./2159 दिनांक 05.02.2016 के द्वारा अपीलार्थी एवं अनावेदक को अपील के संबंध में उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया ।

3.0 आवेदक एवं अनावेदक नियत तिथि 15 फरवरी 2016 को अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हुए ।

4.0 आवेदक द्वारा वर्ष 2008 से वर्तमान तक मासिकवार पॉवर इंजेक्शन ग्राफ की जानकारी चाही गई थी तदनुसार जनसूचना अधिकारी द्वारा मासिकवार इंजेक्शन का विवरण आवेदक को 28.01.2016 को उपलब्ध करवाया गया था ।

5.0 आवेदक का अपील के माध्यम से कथन है कि मासिकवार पॉवर इंजेक्शन ग्राफ के स्थान पर मासिकवार औसत डाटा प्रदान किया गया जो कि चाही गई जानकारी से भिन्न जानकारी है ।

6.0 जनसूचना अधिकारी द्वारा बतलाया गया कि उनके द्वारा आवेदक को उपलब्ध जानकारी से सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अवगत कराया गया है । जनसूचना अधिकारी द्वारा यह भी बतलाया गया है कि मासिकवार ग्राफ की जानकारी कार्यालयीन अभिलेख में उपलब्ध नहीं होती है तथा आवेदक को मासिकवार औसत डाटा नहीं बल्कि वास्तविक इंजेक्शन से अवगत कराया गया है ।

.......2.......

15/02/16 15.02.16

7.0 उपरोक्त दोनों पक्षों के कथन के आधार पर यह स्थापित होता है कि सूचना अधिकारी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–2 (च) का पालन करते हुए आवेदक को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत जानकारी प्रदाय की है ।

8.0 इस अपील में सुनवाई हेतु अब शेष कुछ नहीं रहता है अतः एतद् द्वारा अपील को निराकृत कर नस्थीबद्ध किया जाता है ।

9.0 इस निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–19 के अनुसार राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं ।

(बी0आर0 सोनी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (भार प्रेषण)
छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0 रायपुर

15/02/16

15.02.16